



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 9177 वर्ष 2026

श्रीमती अमोलिका और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रुखसाना

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री रुखसाना की ओर से उपस्थित मोहम्मद अजमल फारूकी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रभास कुमार तिवारी की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट की प्रार्थना की है।

3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जो दावा करते हैं कि वे वयस्क हो चुके हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता हैं। इसलिए, वे अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इस न्यायालय से संरक्षण की मांग करते हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु लगभग 18 वर्ष है, क्योंकि हाई स्कूल प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 07.02.2008 दर्ज है, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 भी एक बालिग लड़का है, जिसकी आयु लगभग साढ़े उन्नीस वर्ष है, और उसके हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 15.07.2006 है, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है।

5. आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता संख्या 2 वयस्क हो चुका है, लेकिन उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे "अधिनियम, 1955" कहा गया है) के तहत निर्धारित विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है। निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने एक-दूसरे से प्रेम किया और विवाह करने की इच्छा रखते हुए 2 फरवरी, 2026 को महोबा में विवाह संपन्न किया, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार ने अपनी सहमति नहीं दी थी।

6. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया विवाह अमान्य है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2006 (जिसे आगे "अधिनियम, 2006" कहा गया है) की धारा 12(क) के प्रावधानों का हवाला दिया। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'बाल' की परिभाषा में आता है और वह विवाह संपन्न नहीं करा सकता, इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया विवाह शून्य और अमान्य है। वैकल्पिक रूप से, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया विवाह याचिकाकर्ताओं के विकल्प पर रद्द करने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका को इस स्तर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

7. अतः, मुझे सर्वप्रथम यह जाँच करनी होगी कि क्या विवाह 2006 के अधिनियम के अनुसार अमान्य है या केवल रद्द करने योग्य है। उक्त अधिनियम की धारा 3 और 12 नीचे दी गई हैं:-

“3. विवाह करने वाले पक्ष के बच्चे होने की इच्छा पर बाल विवाह रद्द किए जा सकते हैं।

(1) प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, विवाह के समय बाल विवाह पक्षकार के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है।

बशर्ते कि बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका, विवाह के समय बाल विवाह पक्षकार द्वारा ही जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है।

(2) यदि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता नाबालिग है, तो याचिका उसके अभिभावक या निकटतम मित्र के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ दाखिल की जा सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) इस धारा के अंतर्गत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के बालिग होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले।

(4) इस धारा के तहत विवाह रद्द करने का आदेश देते समय, जिला न्यायालय एक आदेश जारी करेगा जिसमें विवाह के दोनों पक्षों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे दूसरे पक्ष, उसके माता-पिता या अभिभावक को, जैसा भी मामला हो, विवाह के अवसर पर दूसरे पक्ष से प्राप्त धन, कीमती सामान, आभूषण और अन्य उपहार लौटा दें, या ऐसे कीमती सामान, आभूषण, अन्य उपहार और धन के मूल्य के बराबर राशि लौटा दें: बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताने के लिए नोटिस न दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए।

12. कुछ परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे का विवाह अमान्य होगा।- जहाँ कोई बच्चा, नाबालिग होने के कारण

(क) वैध अभिभावक की देखरेख से ले जाया गया हो या बहला-फुसलाकर बाहर निकाला गया हो; या

(ख) बलपूर्वक विवश किया गया हो, या किसी छलपूर्ण तरीके से किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित किया गया हो; या

(ग) विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है; और विवाह की किसी विधि से संपन्न कराया जाता है, या यदि नाबालिग का विवाह हो जाता है जिसके बाद उसे बेच दिया जाता है या तस्करी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जाती है या अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसा विवाह अमान्य होगा।”

8. इस प्रकार, यह देखा गया है कि धारा 3 के अनुसार, विवाह नाबालिग की याचिका पर रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि विवाह को रद्द घोषित करने के लिए ऐसी याचिका, यदि बच्चे द्वारा बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर दायर की जाती है। स्पष्ट रूप से, ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है।

9. अब उक्त अधिनियम की धारा 12 पर आते हैं, जो कुछ परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे के विवाह को अमान्य घोषित करती है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त धारा के खंड (क) के संबंध में तर्क दिया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि विवाह तब अमान्य होगा जब किसी बच्चे/नाबालिग को वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाया जाता है या बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है।

10. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने **सोनू पासवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2013 (83) एसीसी (1)** के मामले में, अधिनियम, 1955 और अधिनियम, 2006 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि विवाह योग्य आयु से कम उम्र के नाबालिग का विवाह शून्य नहीं होगा, बल्कि विवाह के समय विवाह योग्य आयु प्राप्त न करने वाले बच्चे के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है। साथ ही, उस मामले में न्यायालय ने अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के प्रावधानों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई नाबालिग अपनी पत्नी का अभिभावक है तो कोई रोक नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“21. यदि रेखा देवी को नाबालिग भी मान लिया जाए, तो भी उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरंभिक रूप से अमान्य नहीं है।

22. यह विवाह 2006 के अधिनियम के तहत तभी अमान्य होगा, जब रेखा देवी इस संबंध में कोई याचिका दायर करें। हालांकि, इस मामले में रेखा देवी का कहना है कि उनका विवाह सोनू पासवान, यानी याचिकाकर्ता से हुआ है, और वह उनके साथ अपने वैवाहिक घर में रहना चाहती हैं। यह विवाह 2006 के अधिनियम की धारा 12 के तहत अमान्य नहीं है, क्योंकि उक्त प्रावधान में निर्धारित शर्तें इस मामले में मौजूद नहीं हैं।

23. संरक्षक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 की धारा 21 के तहत, एक नाबालिग अपनी पत्नी या बच्चे का संरक्षक हो सकता है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के खंड 'सी' के तहत, विवाहित लड़की के मामले में, पति संरक्षक होगा।”

11. दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन एसीजे ए. के. सिकरी ने की थी, ने न्यायालय द्वारा स्वयं की याचिका (लज्जा देवी) बनाम राज्य 2014(1) जेआईसी 198 (दिल्ली)(एफबी) में इस विषय पर सभी विधायी प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला:-

“फिर भी, वर्तमान कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग का उत्तर देते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु की महिला या 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष से किया गया विवाह शून्य विवाह नहीं होगा, बल्कि शून्यकरणीय विवाह होगा, जो वैध हो जाएगा यदि ऐसे “बच्चे” द्वारा, पीसीएम अधिनियम, 2002 की धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2(क) के अर्थ में, उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत इस विवाह को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए कोई कदम नहीं उठाया जाता है।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान परिस्थितियों में, जहाँ एक पक्ष/लड़के ने विवाह योग्य आयु, अर्थात् 21 वर्ष, प्राप्त नहीं की थी, संरक्षण प्रदान किया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नंदकुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में, जो 2018 (16) एससीसी 602 में प्रकाशित हुआ है, यह निर्णय दिया है। कि इन परिस्थितियों में विवाह को अधिकतम शून्यकरणीय माना जाएगा। नंदकुमार (उपरोक्त) के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 8, 9 और 10 नीचे दिए गए हैं:-

"[8] अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सही है। यहां तक कि राज्य के अधिवक्ता ने भी उपरोक्त कानूनी स्थिति का खंडन नहीं किया और वास्तव में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का समर्थन किया। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 1 (जो विवाह की तिथि पर 21 वर्ष से कम आयु का था और विवाह योग्य आयु का नहीं था) के थुशारा के साथ विवाह का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता संख्या 1 21 वर्ष से कम आयु का था, उनके बीच विवाह शून्य और अमान्य है। अपीलकर्ता संख्या 1 और थुशारा दोनों हिंदू हैं। ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शून्य विवाह नहीं है, और धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, जो ऐसे मामले में लागू हो सकते हैं, अधिक से अधिक, विवाह शून्यकरणीय विवाह होगा।

[9] हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और धारा 12 इस स्थिति को स्पष्ट करती हैं, जो नीचे दी गई हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. हिंदू विवाह की शर्तें/- किन्हीं दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न किया जा सकता है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, अर्थात् -

(iii) विवाह के समय दूल्हे की आयु इक्कीस वर्ष और दुल्हन की आयु अठारह वर्ष पूरी हो चुकी हो;\

12. निरस्त किए जा सकने वाले विवाह-

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह शून्यकरणीय होगा और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अमान्यता के आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता है, अर्थात्:-

1(क) कि प्रतिवादी की नपुंसकता के कारण विवाह संपन्न नहीं हुआ है; या (ख) कि विवाह धारा 5 के खंड (ii) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन है; या

(ग) याचिकाकर्ता की सहमति, या जहाँ याचिकाकर्ता के विवाह में अभिभावक की सहमति आवश्यक थी, धारा 5 के अनुसार, जैसा कि बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978

(2 ऑफ 1978) के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू था, ऐसे अभिभावक की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, समारोह की प्रकृति के संबंध में या प्रतिवादी से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य या परिस्थिति के संबंध में; या

(घ) कि विवाह के समय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[10] हमें इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उद्देश्य के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता संख्या 1 और थुशारा दोनों बालिग हैं। यदि वे विवाह करने के योग्य नहीं भी थे (जिस स्थिति पर स्वयं विवाद है), तो भी उन्हें विवाह से बाहर भी साथ रहने का अधिकार है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि "लिव-इन रिलेशनशिप" को अब विधानमंडल द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थान दिया गया है।"

13. यह स्वीकार किया जाता है कि लड़की/याचिकाकर्ता संख्या 1 बालिग है और अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होने में सक्षम है। इसलिए, इस स्तर पर उसके पिता यह नहीं कह सकते कि उनकी बेटी, जो वैसे तो बालिग है, ने एक नाबालिग लड़के को बहकाया है और इसलिए उनकी बेटी का विवाह अमान्य है। चूंकि लड़की बालिग है और लड़के के अभिभावक की ओर से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां गलत और किसी भी मामले में समय से पहले प्रतीत होती हैं। इस स्तर पर यह न्यायालय केवल याचिकाकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा के मुद्दे की जांच कर रहा है।

14. दूसरी ओर, अधिनियम, 2006 की धारा 3 और अधिनियम, 1955 की धारा 5/12 के तहत ऐसा विवाह रद्द किया जा सकता है। हालांकि, इन प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि विवाह केवल विवाह के उस पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है जो उपर्युक्त अधिनियमों के अनुसार बालिग हो। साथ ही, वर्तमान कार्यवाही में ऐसे मुद्दों की जांच नहीं की जा सकती। इसलिए, यह रिट याचिका पूर्णतः विचारणीय है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इस स्तर पर विवाह की वैधता के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं की जान और स्वतंत्रता को खतरे के बारे में उनकी आशंकाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो याचिका में वर्णित कारणों/परिस्थितियों से संबंधित हैं।

16. अब जिस विवाद पर निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने और उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संरक्षण प्रदान करने के लिए उचित रिट/निर्देश या आदेश जारी करना आवश्यक है।

17. मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि यद्यपि लड़की बालिग है, परन्तु लड़के ने विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है। अतः, उनका विवाह, भले ही यह मान लिया जाए कि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (iii) का उल्लंघन है। धारा 5 में विवाह संपन्न करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वैधानिक पूर्व-आवश्यकताओं का प्रावधान है। इसकी उपधारा (iii) में दूल्हा और दुल्हन की न्यूनतम आयु निर्धारित है। धारा 5 इस प्रकार है:-

"हिंदू विवाह की शर्तें। किन्हीं दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न किया जा सकता है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, अर्थात्:

(i) विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं था; [(ii) विवाह के समय, किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं था]

(क) मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ है; या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ख) वैध सहमति देने में सक्षम होते हुए भी, इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो; या

ग) बार-बार पागलपन के दौरों पड़ते रहे हैं [***];]

(iii) विवाह के समय दूल्हे की आयु [इक्कीस वर्ष] और दुल्हन की आयु [अठारह वर्ष] पूरी हो चुकी हो;

(iv) पक्षकार निषिद्ध संबंध की सीमा में नहीं आते हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक पर लागू होने वाली प्रथा या रीति-रिवाज दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देते हों;

(v) दोनों पक्ष एक दूसरे के सपिंडा नहीं हैं, जब तक कि उनमें से प्रत्येक पर लागू होने वाली प्रथा या रीति-रिवाज उनके बीच विवाह की अनुमति न देते हों;”

18. उक्त धारा 5 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि दूल्हा 21 वर्ष से अधिक और दुल्हन 18 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए। हालांकि, साथ ही, अधिनियम, 1955 की धारा 11, जो कुछ विवाहों को, जो धारा 5 (उपरोक्त) के उल्लंघन में हैं, शून्य घोषित करती है, लेकिन उक्त धारा 5 की उपधारा (iii) के उल्लंघन में संपन्न विवाह को शून्य या अमान्य माने जाने के दायरे से बाहर रखती है।

19. उपरोक्त विचारों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जितेंद्र कुमार शर्मा बनाम राज्य और अन्य के मामले में दिए गए खंडपीठ के फैसले से समर्थन मिलता है। यह फैसला 2001 (7) ए.डी. (दिल्ली) 785 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"यह सच है कि हिंदू विवाह की शर्तों में से एक यह है कि दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि यदि आयु संबंधी ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो विवाह स्वतः ही अमान्य या शून्य हो जाता है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 की जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सत्य नहीं है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

11. अमान्य विवाह- इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद संपन्न कोई भी विवाह अमान्य होगा और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर, अमान्यता के आदेश द्वारा उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है, यदि वह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है।

यद्यपि धारा 5 में पाँच शर्तें निर्धारित की गई हैं, लेकिन उनमें से केवल तीन, अर्थात् खंड (i), (iv) और (v) का उल्लंघन ही विवाह को अमान्य घोषित कर देगा। धारा 5 का खंड (iii), जो कि दुल्हन और दूल्हा की न्यूनतम आयु से संबंधित शर्त है, इसमें स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। परिणामस्वरूप, हिंदू विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड (iii) के उल्लंघन में संपन्न हुआ हो, उसे अमान्य विवाह नहीं माना जा सकता। हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 से अनभिज्ञ नहीं हैं, जो हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करती है। यह इस प्रकार है:-

18. हिंदू विवाह संबंधी कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड।- प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 के खंड (iii), (iv) और (v) में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के तहत अपना विवाह संपन्न कराता है, वह दंडनीय होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क) धारा 5 के खंड (iii) में निर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन के मामले में, दो वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा;

ख) धारा 5 के खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन के मामले में, साधारण कारावास जो एक माह तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

सी) (***)

लेकिन, यह तथ्य कि एचएमए की धारा 5 (iii) में निर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि विवाह स्वयं शून्य या अमान्य है। यदि विधायिका का इरादा होता कि ऐसा विवाह शून्य या अमान्य होगा, तो वह धारा 5 के खंड (iii) को धारा 11 में ही आसानी से शामिल कर सकती थी। धारा 11 में केवल धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) का ही विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि विधायिका ने जानबूझकर धारा 5 के खंड (iii) में आयु संबंधी शर्त का उल्लंघन करने वाले विवाहों को शून्य या अमान्य विवाहों की श्रेणी से बाहर रखा है।

XXX---XXX-----XXX---XXX

आगे बढ़ने से पहले, हिंदू कानून के तहत मूल रूप से दो प्रकार के विवाह होते हैं- शून्य विवाह या वैध विवाह। बाद वाली श्रेणी में शून्यकरणीय विवाहों की एक उपश्रेणी आती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, धारा 5 के खंड (iii) के उल्लंघन में किया गया विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट शून्य विवाहों की श्रेणी में नहीं आता है, और न ही धारा 12 में निर्दिष्ट शून्यकरणीय विवाहों की श्रेणी में आता है। इसलिए, छंटनी की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया से, यह एक वैध विवाह होगा। बेशक, विवाह को तलाक के आदेश द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन, यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट आधारों पर ही होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि धारा 13 (2) (iv) एक 'पत्नी' को निम्नलिखित आधारों पर अपने विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर करने में सक्षम बनाती है:-

(iv) कि उसका विवाह (चाहे संपन्न हुआ हो या नहीं) पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संपन्न हुआ था और उसने उस आयु को प्राप्त करने के बाद लेकिन अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह को अस्वीकार कर दिया है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पंद्रह वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की का विवाह भी वैध माना जाता है और इसे केवल उसकी याचिका पर ही भंग किया जा सकता है, बशर्ते वह पंद्रह वर्ष और अठारह वर्ष की आयु के बीच विवाह को अस्वीकार कर दे।”

20. वर्तमान मामले पर लौटते हुए, उपरोक्त पृष्ठभूमि और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (iii) के अनुसार वैध विवाह संपन्न नहीं किया है और यदि उनके विवाह को चुनौती दी जाती है तो उन्हें उचित मंच के समक्ष अपने विवाह की वैधता साबित करनी होगी।

21. हालांकि, यहाँ मुद्दा याचिकाकर्ताओं का विवाह नहीं है, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मांगने के मौलिक अधिकार से वंचित होना है। मैं बिना किसी संकोच के यह कह सकता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मौलिक अधिकार का महत्व बहुत अधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पवित्र होने के कारण, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे अमान्य या शून्य विवाह संपन्न हुआ हो या पक्षों के बीच कोई विवाह न हुआ हो।

22. संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मानव जीवन के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे नागरिक नाबालिग हो या वयस्क। याचिकाकर्ता संख्या 2 का विवाह योग्य आयु का न होना उसे भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता।

23. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 सीआर.एल.जे. 3309** में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक मामले पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:-

"यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते, और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो बालिग है, किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा की जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा करता है, स्वयं या उसके उकसावे पर, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और आगे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कड़ी कार्रवाई की जाती है।”

24. भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 और 29 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को मनमानी न्यायालयों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। लता सिंह मामले में हमने यह माना है कि “इज्जत” के नाम पर हत्या में कुछ भी “सम्मानजनक” नहीं है। ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में, चाहे किसी भी कारण से की गई हो, इज्जत के नाम पर हत्याएं दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जाए, जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। जो भी व्यक्ति “इज्जत” के नाम पर हत्या करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार को भेजी जाए, जो इसे सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को वितरित करेंगे। उच्च न्यायालयों के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार इसकी प्रतियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी वितरित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को सूचना के लिए वितरित करेंगे।

25. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को केवल यह आशंका है कि निजी प्रतिवादी उनके खिलाफ हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या उन्हें परेशान कर सकते हैं।

26. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित न किया जाए, यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या विवाह की तस्वीरों की प्रामाणिकता, या याचिकाकर्ताओं की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

28. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को छुपाकर या गलत बयानों के आधार पर प्राप्त किया गया हो।

29. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।

30. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण तदनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।